13/6/17 पत्रावली आज व्यापार आलेख द्वारा इस दीनदारपुरा में पेश हुई। वादी द्वारा तहसीलदार लिखित की डिक्री प्राप्त। सरपंच व हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त। तहसीलदार व हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार रामचन्द्र व पप्पू भाकर एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जो शुद्ध किया जाना उचित है।

मजमें आम में प्रकाश की जानकारी ली गई रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्कों पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी सादा फोटोग्राफी के खसरा सं० 261, 262, 280, 263, 265, 291 व ग्राम दौलतपुरा के ख० सं० 248 तथा पावटा के ख० सं० 125 में वादी का नाम रामचन्द्र भाकर के स्थान पर पप्पू भाकर इन्द्राज किया जाना है। डिग्री जारी हो। निर्णय आज मजमे आम में सुनाया जाय। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

2. यह है कि वादी ...

Scanned by CamScanner